14.10.202 वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर मूल दावा पत्रावली मे हमशील रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारीः— देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
45 / 15	2015 / 00063	16.10.2015

उदयसिंह पुत्र भौरूसिंह उर्फ भूरसिंह जाति राजपूत आयु 70 साल निवासी गौठरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

—सायल

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत नि0गैसगोदाम के पास नदी बरखेडा करौली तह0 व जिला करौली राज0
2. प्रतापसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत नि0गैसगोदाम के पास नदी बरखेडा करौली तह0 व जिला करौली राज0
3. भैरोलाल पुत्र मोहनलाल जाति माली नि0 गैसगोदाम के पास नदी बरखेडा करौली तह0 व जिला करौली राज0
4. ..प्यारेलाल पुत्र मोहनलाल जाति माली नि0 गैसगोदाम के पास नदी बरखेडा करौली तह0 व जिला करौली राज0
5. रामेश्वर पुत्र भैरोलाल जाति माली नि0 गैसगोदाम के पास नदी बरखेडा करौली तह0 व जिला करौली राज0

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

:निर्णयः

दिनांकः—14.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायल व गैरसायल नं0 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के संयुक्त कुटुम्ब के व्यक्ति है जिसका सजरा प्रार्थना पत्र में दर्ज है। सायल के पिता एवं गैरसायल नं0 1 व 2 परपितामह भौरू बल्द दुर्जनसिंह राजपूत की माफी की खुद काश्त भूमि रियासत काल से कस्बा करौली के अन्दर स्थित है जो पुश्तैनी है और जिसके हम संयुक्त खातेदार है जिसमें सायल का 1/2 गैरसायल नं0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है जिसके ख0नं0 6649, 6666, 6674, 6782, 6683, 6684, 6697, 6757, 6760, 6764, 6765, 6766, 6779, 6780, 6781, 6787, 6788 कुल किता 17 कुल रकवा 23 बीघा 3 विस्वा एवं ख0 नं0 6667/1 रकवा 13 विस्वा है यह भूमि उबड़ खाबड़ नदो की शक्ला में है जिसके सैटिलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बर 5157, 1594, 5139, 5144, 5150, 5151, 5252, 5154, 5153, 5198, 5197, 5292, 5199, 5200, 5204, 5185 है जो जागीर की भूमि है। सायल के पिता भौरूसिंह के मरने के बाद यह भूमि सायल के बडे भाई कल्याण सिंह के नाम राजस्व कर्मियों ने बडा होने के आधार पर दर्ज कर दी जबकि इसमें सायल का भी बराबर हिस्सा है और उस समय सायल के भाई व सायल शामिल रहते थे बडा भाई कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के नाम भूमि कर्मियों की भूल से

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजसिंह के नाम सम्वत 2027 में नामान्तरण दर्ज कर दिया और सन् 1976 में यह भूमि भंवरसिंह, प्रतापसिंह के नाम पर एवं भौरी बाई के नाम दर्ज हो गई चूंकि भूमि बंजड एवं उबड–खाबड नदो की सूरत में है वह सायल को इस नामान्तरण की जानकारी नही हो पायी यह पेपर एन्ट्री सायल के विरूद्व शून्य है बेअसर है। उक्त समस्त भूमि सायल के पिता की होने के कारण सायल 1/2 हिस्से का खातेदार है सायल अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने हक में घोषित कराने का अधिकारी है। गैर सायल नं0 1 व 2 द्वारा जरिये संरक्षक रतनबाई व भौरीबाई ने उक्त भूमि में से ख0 नं0 6667 रकवा 13 विस्वा भूमि को गैर सायल नं0 3ता5 को विक्रय कर दी गई है यह भूमि सायल की सम्यक है जिसे गैरसायल नं0 1 व 2 को विक्रय करने का अधिकार नही था उक्त बेचान सायल के अधिकारो पर बेअसर है सायल के 1/2 हिस्सा की सीमा तक शून्य प्रभावी है। उक्त भूमि में सायल अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी है। सायल ग्राम गोठरा तह0 सपोटरा में रहता है। सायल को भूमि खाली पडी हुयी होने से देखकर परिवर्तनों की जानकारी नही की किन्तु दिनांक 6.6.14 को सायल को इस फर्जकारी की जानकारी हुयी तब सायल ने तहसीलदार करौली को अपने हक में विरासत का नामान्तरण विधि के अनुसार दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार करौली द्वारा वाद जांच सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया जब सायल ने समस्त कागजाद की नकले प्राप्त की और यह दावा व प्रार्थना पत्र किया हैं । वादग्रस्त आराजी सायल व गैरसायल के संयुक्त खातेदारी की है वादी सायल अपने 1/2 हिस्से का गैरसालान से बंटवारा कराकर अपने हक में सेपरेट खाता करवाने का अधिकारी है। सायल बुजुर्ग व्यक्ति है और गैरसायल नं0 1 व 2 जवान है जो आये दिन सायल के कब्जे मे हस्तक्षेप करते रहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति है सायल गैर सायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान के जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल नं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावा व प्रार्थना पत्र सायल ने गलत तथ्य दर्ज कर प्रस्तुत किये है सायल ने सजरा गलत पेश किया है सायल ने अपने पिता का नाम भौरूसिंह उर्फ भूरसिंह बताया है।

कल्याण सिंह को भौरूसिंह का पुत्र बताया है वह गलत है कल्याण सिंह के पिता का नाम भूरसिंह है भौरूसिंह नामक व्यक्ति कल्याणसिंह का पिता नही है। कल्याण सिंह का पुत्र राजसिंह एवं राजसिंह के पुत्र भौरूसिंह प्रतापसिंह होना स्वीकार है उदयसिंह, उम्मेदसिंह, कल्याणसिंह के सगे भाई नही है बल्कि उदयसिंह, उम्मेदसिंह, भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह के पुत्र है जो ग्राम गोठरा की डोगरी तह0 सपोटरा के निवासी है सायल व उम्मेदसिंह व उनका पिता भंवरसिंह पुत्र दर्जनसिंह कभी भी करौली में नही रहे है और गैर सायल नं0 1 व 2 एवं कल्याण सिंह पुत्र भूरसिंह के परिवार के सदस्य या कुटुम्बी नही है। गैरसायल नं0 1 व 2 का सजरा जबाब दावा के मद नं0 1 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात का कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार है बाकिया इवारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही हैं वाद ग्रस्त भूमि भौरूसिंह वल्द दुर्जनसिंह की माफी की खुदकाश्त भूमि रियासतकाल में नही रही है बल्कि उक्त आराजी सम्वत् 2010 से 2013 की खसरा गिरदावरी में दर्ज है एवं जागीर पुनर्गहण एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत् एवं धारा 15 व 19 आर0टी0एक्ट के तहत् गैरसायलान का 1 व 2 के पितामह कल्याणसिंह के नाम काश्त खातेदारी की रही है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

आराजी के खातेदारी इन्द्राज सम्वत् 2015 में विधिवत कल्याणसिंह के हक में बतौर खातेदार खुदकाश्त काबिज काश्त रहा है। रिजक्सन एक्ट की धारा 21, 22, 23 के तहत् उक्त आराजी जागीरदार कल्याणसिंह की खुद काश्त भूमि थी इसलिए उक्त आराजी कल्याणसिंह के खातेदारी में की गयी और सम्वत् 2010 से पूर्व से आज तक विवादित भूमि पर गैरसायल नं0 1 व 2 के पितामह कल्याणसिह पुत्र भूरसिंह व उनके मरने के बाद गैरसायल नं0 1 व 2 के पिता राजसिंह पुत्र कल्याणसिंह एवं राजसिंह के मरने के बाद गैर सायल नं0 1 व 2 बतौर खातेदार काबिज काश्त है विवादित भूमि में सायलान का कोई हक हिस्सा किसी प्रकार का नही है ना रहा है ना अब है सायल के भूमि में अपना 1/2 हिस्सा होना भूमि पुश्तैनी होना गलत दर्ज किया है सायल ने भूमि को सम्वत् 2010 से पूर्व से आज तक कभी भी गैरसायल नं0 1 व 2 एवं पिता व पितामह गैरसायल नं0 1 व 2 के साथ संयुक्त काश्त नही किया है कल्याण सिंह सायल का भाई नही है। बल्कि कल्याणसिंह भूरसिंह राजपूत नि0 करौली का पुत्र है। सायल भंवरसिंह नि0 गोठरा तह0 सपोटरा का पुत्र होना स्वयं ने माना है भूमि के खातेदारी इन्द्राज भौहसिंह नामक व्यक्ति के मरने के बाद कल्याणसिंह के हक में उसका बडा पुत्र होने से नही में है बल्कि कल्याणसिंह सम्वत् 2010 से पूर्व से उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार रहा है सायल कल्याणसिंह का भाई नही है। और कल्याण सिंह के साथ कभी भी शामिल नही रहा है सायल भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राजपूत नि0 गोठरा का पुत्र है। भौहसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राजपूत का पुत्र सायल नही है। सायलन गैर सायल नं0 1 व 2 के पितामह कल्याणसिंह के खानदान का नही है। कल्याणसिंह के मरने के बाद गैरसायल नं0 1 व 2 के पिता राजसिंह के नाम विधिवत विरासत नामान्तरण से खातेदारी दर्ज हुयी है और राजसिंह के मरने के बाद गैरसायल नं0 1 व 2 व रतनबाई व भौरीबाई के हक में विधिवत खातेदारी हुयी है जो वैद्य है। जिसे सायल द्वारा आज तक चैलेंज नही किया गया है। भूमि में रबी व खरीफ दोनो फसले पैदावार होता है सायल को कल्याण सिंह के हक में हुये भूमि के खातेदारी इन्द्राज की जानकारी सम्वत 2010 से पूर्व से ही है एवं गैर साल नं0 1 व 2 एवं रतनबाई, भौरीबाई के हक में अनपढ व्यक्ति नही है बल्कि चालाक किस्म का है गलत तथ्यों के आधार पर भूमि को हडपना चाहता है धारा आई0आर0टी0 एक्ट के तहत भी सायल को भूमि में कोई हक खातेदारी प्राप्त नही होने है। सायल 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज अपने हक में दुरस्त कराने का अधिकारी नही है। दिनांक 2015/87 को रतनबाई, भौरीबाई को गैर सायल नं0 1 व 2 की ओर से गैर सायल नं0 3 ता 5 को भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। गैर सायल नं0 1 व 2 के भरण पोषण व शिक्षा के लिए रूपयो की आवश्यकता होने से उनकी नाबालिगी में भूमि का विक्रय किया है जो विक्रय वैद्य है सायल विक्रय को शून्य व अवैध घोषित कराने का अधिकारी नही है सायल का भूमि पर उसके जीवन काल से आजतक 70 साल से पूर्व से कोई कब्जा काश्त नही है। सायल कोई घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी नही है। सायल को कोई वाद कारण दिनांक 06.06.14 को खिलाफ गैरसायलान पैदा नही हुआ है। सायल की कार्यवाही के लिए न्यायालय द्वारा सायल के विरूध्द धारा 340 आई0पी0सी0 के तहत् कार्यवाही किया जाना यथोचित है। क्योकि सायल द्वारा तहसीलदार करौली को फर्जी तरीके से गैरसायल नं0 1 भंवरसिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह को अपना पिता बताकर और भंवरसिंह का एकमात्र इकलौता पुत्र बताते हुए भूमि को हडपने की बदनीयति से प्रस्तुत किया था जिसमें कामयाबी नही मिलने के बाद सायल ने यह दावा दर0 पुनः अपने आपको भौह का पुत्र बताकर पेश किये है सायल को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सायल के किसी हक हकूक पर आघात नही है। सायल द्वारा पूर्व में दि0 30.05.12 को इन्ही आराजीयात के संबंध में दावा बंटवारा घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी उदयसिंह बनाम वीरेन्द्रसिंह वगै मु0नं0 46/2012 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया था जिसमें सायल ने अपने पिता का नाम भंवरसिंह व स्वयं की उम्र 55 साल अंकित की है उक्त दावा के सजरा में भंवरसिंह के पिता का नाम दुर्जनसिंह बताया है भौरीबाई जो कल्याणसिंह की पत्नी है उसको राजसिंह की पुत्री बताया है इससे स्पष्ट है कि सायल गैरसायलान नं0 1 व 2 के पितामह कल्याणसिंह का भाई नही है कुटुम्बी नही है और उक्त दावा दि0 21.10.2013 को न्यायालय हाजा में खारिज हो चुका है इस प्रकार दावा व दर0 सायल रेस्सज्यूडिकेटा है और धारा 11 सी0पी0सी के तहत खारिज किये जाने योग्य है। इसके बाद सायल ने पुनः जिला कलक्टर करौली को दि0 6.6.14 को भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राजसिंह का वारिस बताते हुये भंवरसिंह का इकलौता पुत्र बताते हुये उक्त भूमि का विरासत नामान्तरण गैर सायल नं0 1 के स्थान पर उसके जीवित रहते हुये फर्जी तरीके से कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जिसमे तहसीलदार ने जांच के बाद सायल को भंवरसिंह का वारिस नही मानते हुये एवं स्वयं भंवरसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह के जीवित होने से सक्षम न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने की हिदायत दी गयी है सायल का स्वयं का वोटर आई0डी0 विधानसभ क्षेत्र सपोटरा का भाग सं0 146 की क्रम संख्या 285 पर नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह नाम से है इससे स्पष्ट है कि सायल भूमि को येनकेन प्रकारेण तरीके से हडपने की चेष्ठा मे है और इसी उद्देश्य से दि0 3.6.11 को अपने पिता भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह का मृत्युप्रमाण पत्र गैरसायलान 1 व 2 के पिता का नाम दुर्जनसिंह के आगे राजसिंह उर्फ लगाते हुये फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत गोठरा के रजिस्ट्रार से प्राप्त किया है जबकि सायल का पिता सन् 1974 में फौत हो चुका है और उसके स्थान पर सायलान के हक में ख0नं0 115, 146, 165, 152, 152/1, 152/2 का विरासत नामान्तरण सं0 217 दि0 30.8.74 को हो चुका है। जिसके सावित है कि गैर सायल नं0 1 व 2 का पितामह कल्याणसिंह सायलान का भाई नही है। सायल ने दावा व दर0 भू माफियाओ से मिलकर गैरसायल नं0 1 व 2 को भूमि जो जिला मुख्यालय पर स्थित है को हडपने की नीयत से प्रस्तुत किये है। यदि कल्याणसिंह भौह का पुत्र होता तो अवश्य ही गोठरा की भूमि में जो विरासत नामान्तरण हुआ है में नाम दर्ज होता या कल्याणसिंह के मरने के बाद उसकी पत्नी भौरीबाई व पुत्र राजसिंह व पुत्री सुशीला व रूपन्ती का नाम भी विरासत में दर्ज होता। अन्त में प्रार्थनापत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का बहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमिवादी के पिता के समय की पुश्तैनी भूमि है सायल ने अपना सजरा प्रार्थनापत्र में दर्ज किया है जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2013 मे वादग्रस्त भूमि सायल के पिता भौहसिंह के नाम दर्ज है आराजी जागीर की खुदकाश्त भूमि है कोपर्सनरी सम्पत्ति है कल्याणसिंह पुत्र राजसिंह राजकीय सर्विस मे करौली मे था और वही फौत हुआ प्रतिवादी गैरसायलान के नाम भूमि दर्ज हो गयी भौरूसिंह उर्फ भूरसिंह के दोनो नाम है कल्याणसिंह सबसे बडा लडका था और जमीन उसकी खातेदारी में आ गयी जमीन नडा/बीहड में रूप में है काश्त योग्य नही थी इसलिए सायल ने ध्यान नही दिया जबाब में गैरसालान ने उदयसिंह को परिवार का सदस्य नही बताया है रियासत कालीन जमाबंदी सम्वत् 1968 में भूमि भौरूसिंह के नाम है जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की है। यह

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सार्वजनिक दस्तावेज है 30 साल पुराने है साक्ष्य अधि0 की धारा 35, 37 के अनुसार सार्वजनिक दस्तावेज सही माना जावेगा और साबित माना जायेगा स्कूल के दस्तावेज भी दावा की पत्रावली में पेश है कल्याणसिंह उदयसिंह का भाई था अपूर्णीय क्षति सायल को जमीन बिक जाने से होगी और मुकदमेबाजी बढेगी शामलाती जमीन में नाम जरूरी नही है। आराजी की दायरी दावा की स्थिति रखा जाना सूचित है वरना सायल का न्याय नही मिलेगा। सायल ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये है गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया जावे।

वकील गैरसायलान का बहस में कथन है कि आराजीयात वादग्रस्त राजसिंह के खातेदारी की व कल्याणसिहं के खातेदारी की सम्वत् 2010 से पूर्व से है सायल करौली का निवासी नही है सायल ग्राम गोठरा की डौगरी तह0 सपोटरा का निवासी सायल गैरसायलान नं0 1 व 2 का कुटुम्बी नही है दि0 30.5.12 को सायल ने अपने को भंवरसिंह का पुत्र बताते हुये न्यायालय हाजा में दावा मु0 नं0 46/12 प्रस्तुत किया जिसमें अपनी उम्र 55 वर्ष दर्ज की उक्त दावा दि0 21.10.13 को खारिज न्यायालय दावा में हुआ है। इसके बाद सायल ने जिला कलक्टर करौली को आवेदन दि0 6.6.14 को अपने पिता का नाम दुर्जनसिंह उर्फ राजसिंह का वारिस बताकर आवेदन किया और इसके बाद यह दावा किया है सायल चालाक किस्म का व्यक्ति है और भूमि गैरसायलान को येनकेन प्रकारेण हडपना चाहता है। सायल का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त कभी नही रहा है ना अब है। भूमि पर सम्वत 2010 से पूर्व से कब्जा गैरसायल व पिता व पितामह गैरसायलान का चला आ रहा है। सायल कोई अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरूध्द प्राप्त करने का हकदार नही है सायल का आराजीयात में कोई हक हकूक हिस्सा नही है सायल के किसी हक हकूक पर आघात नही है सायल को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है।सायल का दावा व दर0 रेस्सज्यूडीकेटा है प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जाये।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात सम्वत् 2010 से 2013 की खसरा गिरदावरी में तन्हा कल्याणसिंह के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसके अनुसार सम्वत 1968 के वाद का कोई राजस्व रिकॉर्ड सायल के सम्वत 2009 तक का प्रस्तुत नही किया है आर0टी0एक्ट दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ है उक्त दिवस को सायल भूमि पर काबिज नही रहा है कब्जा कल्याणसिंह होना खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 से साबित होना है। सायल को पूर्व दावा मुकदमा नंबर 46/12 न्यायालय हाजा मे दिनांक 30.5.2012 को वादग्रस्त भूमि का घोषणा खातेदारी व बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जिसमें सायल ने अपने पिता का नाम भंवरसिंह दर्ज किया है और स्वयं की उम्र 55 साल दर्ज की और इस दावा के सजरा में भंवरसिंह के पिता का नाम दुर्जनसिंह बताया है एवं भौरीबाई जो कल्याणसिह की पत्नी है उसको राजसिंह की पुत्री बताया है यह दावा दि0 21.10.2013 को खारिज हो चुका है इसके बाद सायल ने दि0 6.6.14 को भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह उर्फ राजसिंह का वारिस बताते हुये एवं भंवरसिंह का अपने को इकलौता पुत्र मानते हुए भूमि का विरासत नामान्तरण गैरसायल नं0 1 भंवरसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह के स्थान पर उसके जीवित रहते हुये प्रस्तुत किया है जिसमे सायल को तहसीलदार करौली के वाद जांच भंवरसिंह का वारिस नही माना है। सायल का मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र सपोटरा 81 की भाग संख्या 146 की क्रम संख्या 285 पर पिता का नाम भंवरसिंह है। और सायल ने दि0 3.6.11 को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

पिता भंवरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया। 1974 में फौत हो चुका था आराजीयात ख0नं0 115, 146, 165, 152, 152/1, 152/2 का विरासत नामान्तरण सं0 217 दि0 30.8.74 ग्राम गोठरा का हो चुका है। इन समस्त तथ्यो व दस्तावेजो से स्पष्ट प्रकट होता है कि गैरसायल नं0 1 व 2 का पितामह कल्याणसिंह पुत्र भूरसिंह सायल का भाई नही सायल के भूमि पर कब्जा काश्त होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से आज तक से कब्जा काश्त गैरसायल नं0 1 व 2 व पिता व पितामह गैरसायलान का होना स्पष्ट साबित है। सायल के पक्ष में कोई प्राईमाफेसी केस साबित नही होता है सायल को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में गैरसायलान जो खातेदार काश्तकार है को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी प्रार्थना पत्र सायल चलने योगय नही है। अतः प्रार्थनापत्र सायल सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner